

**वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017**


राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में इसके द्वारा, तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में, विद्यमान क्रम संख्यांक 76 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक 77 और 78 और उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

77.	पेट्रोलियम कम्पनियों के खुदरा आउटलेट वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
78.	नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई "रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-उडान" में यथा परिभाषित आरसीएस उड़ानों को संचालित करने वाले एयरलाइन ऑपरेटर को राज्य के भीतर अवस्थित आरसीएस एयरपोर्ट पर एवियेशन टरबाईन फ्यूल का विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	”

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-83]
राज्यपाल के आदेश से,


शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017**

In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in Schedule II appended to the said Act, with immediate effect, namely:-


AMENDMENT

In Schedule II appended to the said Act, after the existing serial number 76 and entries thereto, the following new serial number 77 and 78 and entries thereto, shall be added, namely:-

77.	Registered dealers having retail outlets of petroleum companies	
78.	Registered dealers selling Aviation Turbine Fuel at RCS Airports located within the State to airline operator which operates RCS Flights as defined in "Regional Connectivity Scheme-UDAN" issued by Ministry of Civil Aviation, Government of India	

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-83]

By order of the Governor,


(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government